



Directorate of Students' Welfare
Guru Gobind Singh Indraprastha University
Sector-16 C, Dwarka, Delhi-110078 Website: <http://ipu.ac.in>

No. F./GGSIPU/DSW/19/2021-22/ 5367

Dated: - 12.01.2022


NOTICE

Subject: Post Matric Scholarship for SC/ST & OBC Students

All the students are informed that the Govt. of NCT of Delhi individually and also in collaboration with the Central Govt is sponsored nine types of scholarships for the students belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

The students who are interested to avail any one of these scholarships for the Academic Year 2021-22 may please visit the website www.sestwelfare.delhigovt.nic.in or contact on the helpline No. 011-23379512 for more information. A detailed information to this effect is enclosed herewith for ready reference.


The scholarship for the Academic Year 2021-22 is opened till 31/01/2022.


(Dr. Gulshan Dhamija)
Associate Director, SW

Copy to:-

1. All Deans, USS
2. All Principals/Directors of Affiliated Institutes
3. Assistant Registrar to Hon'ble Vice Chancellor for kind information of Hon'ble Vice Chancellor.
4. Assistant Registrar to Registrar for kind information of Registrar.
5. Head UITS, with a request to upload the notice on the University website under the link of Students' Welfare and Notice & Circular.
6. Guard File

{ With a request to inform
all the concerned students.


(Neeraj Pant)
Section Officer

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
बी-ब्लाक, द्वितीय तल, विकास भवन, आई0 पी0 एस्टेट, नई दिल्ली-110002

फ.स. DSCST/Sch./2020-21/11167

दिनांक: 28/12/2021

सेवा में,

कुल सचिव
गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय
सेक्टर 16 सी, द्वारका, दिल्ली, 110078

विषय: दिल्ली निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्तियों की प्रचार प्रसार तथा वर्ष 2021-22 हेतु योजनाओं के आरंभ होने की जानकारी।

महोदय,

दिल्ली सरकार के निर्देश पर मैं आपको अवगत करा रहा हूँ, कि दिल्ली राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए, कुल 09 प्रकार की छात्रवृत्ति योजनाएं दिल्ली राज्य में लागू हैं, जिसमें 5 छात्रवृत्तियां, दिल्ली सरकार की वित्तीय सहायता से तथा शेष 4 दिल्ली राज्य व केन्द्र सरकार (समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय) द्वारा संयुक्त वित्तीय सहायता से संचालित की जाती है। इन छात्रवृत्तियों को दिल्ली राज्य में संचालित करने हेतु यह विभाग व्यवस्थापक/नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है।

दिल्ली सरकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की उन्नति, तरक्की व उनके जीवन स्तर को उंचाई पर ले जाने हेतु इन योजनाओं को उक्त समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक ले जाने के लिए तत्पर है तथा लाभार्थियों की संख्या में बढोत्तरी हेतु विशेष अभियान चला रही है। जिसके लिए इन योजनाओं के प्रचार प्रसार की आवश्यकता को देखते हुए निवेदन है कि आप अपने सम्बन्ध कॉलेजों में संबंधित नोडल अधिकारियों को लाभार्थी समुदाय के छात्रों को इन योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करा कर योग्य प्रार्थियों को उनका लाभ उठाने के लिए निर्देशित करने की कृपा करें।

वर्तमान में छात्रवृत्ति की योजनाएं विद्यार्थियों हेतु वर्ष 2021-22 के लिए दिनांक 31-01-2022 तक खुली हुई है, जिसकी जानकारी विभाग की वेबसाईट www.scstwelfare.delhigovt.nic.in पर उपलब्ध है। इस संबंध कोई भी पूछताछ (हेल्पलाईन) 011-23379512 से प्राप्त की जा सकती है।

योजनाओं की संपूर्ण जानकारी का साहित्य संलग्न है

अतः इन योजनाओं की सफलता हेतु आपका सहयोग/मार्गदर्शन अपेक्षित है।



निवेदक

मनोज कुमार
उप-निदेशक (छात्रवृत्ति)

DSW
L

So Rajni Numbay
7/1/22

pleas prepare notice

(इ) इसके अतिरिक्त हॉस्टलर्स छात्रों को रखरखाव भत्ता 2600 रुपये से 7500 रुपये प्रतिवर्ष तथा डे स्कॉलर्स छात्रों को 1600 रुपयों से 3500 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (भारत सरकार)

(ई) आय सीमा 2.50 रुपये लाख प्रति वर्ष।

(उ) एस.डी.एम. द्वारा जारी किया गया जाति व आय प्रमाण पत्र।

9. अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व स्कॉलरशिप योजना।

(अ) कक्षा 3 से 10 हॉस्टलर्स छात्रों के लिए 5000 रुपये प्रति वर्ष और कक्षा 1 से 10 डे स्कॉलर्स छात्रों के लिए 1000 रुपये प्रतिवर्ष है। इसके अतिरिक्त अस्थाई अनुदान 500 रुपये प्रतिवर्ष हॉस्टलर्स छात्रों और डे स्कॉलर्स छात्रों को दिया जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (भारत सरकार)।

(आ) आय सीमा 2.50 रुपये लाख प्रति वर्ष।

(इ) एस.डी.एम. द्वारा जारी किया गया जाति व आय प्रमाण पत्र।

उक्त समस्त योजनाओं के लिए विद्यार्थियों को (केवल 4 नं. वाली छात्रवृत्ति को छोड़कर जो कार्यालय में ही जमा होगा) दिल्ली सरकार के <https://edistrict.delhigovt.nic.in> पोर्टल पर जाकर प्रार्थना पत्र आनलाइन भरना होगा।

योजनाओं की सम्पूर्ण जानकारी, ऑन-लाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया तथा आवेदन पत्रों की सम्बंधित शिक्षा संस्थानों द्वारा सत्यापित करने की विस्तृत जानकारी हेतु विभाग की वेबसाइट www.scstwelfare.delhigovt.nic.in पर उपलब्ध है।

नोडल विभाग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग,
कल्याण विभाग बी-ब्लॉक, द्वितीय तल,
विकास भवन, आई. पी. एस्टेट,
नई दिल्ली-110002

ई-मेल: dscstschscheme.delhi@gov.in


वेबसाइट: www.scstwelfare.delhigovt.nic.in

हेल्पलाइन : 011-23379512

हेल्पलाइन समय:

सभी कार्य दिवस सुबह

10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक



सत्यमेव जयते

दिल्ली सरकार छात्रवृत्ति योजनाएं

केवल दिल्ली निवासी अनुसूचित
जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य
पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों हेतु



दिल्ली के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए निम्नलिखित छात्रवृत्ति योजनाएं चलाई जाती हैं:-

दिल्ली राज्य प्रायोजित वित्त पोषक छात्रवृत्तियां

- सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी/पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस की अदायगी (कक्षा 1 से 12)।
(अ) न्यूनतम 50% अंक और पिछली कक्षा में 70% न्यूनतम उपस्थिति।
(आ) अधिकतम प्रतिपूर्ति राशि रु. 48,000/- या वास्तविक भुगतान जो भी कम हो।
(इ) वार्षिक आय सीमा 3.00 लाख रुपये।
(ई) एस.डी.एम. द्वारा जारी किया गया जाति व आय प्रमाण पत्र।
- कॉलेज और व्यावसायिक संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को योग्यता छात्रवृत्ति
(अ) पिछली कक्षा में न्यूनतम 60% अंक।
(आ) एससी/एसटी वर्ग के लिए कोई आय सीमा नहीं।
(इ) ओबीसी श्रेणी के छात्रों के लिए आय की सीमा 3.00 लाख प्रति वर्ष है।
(ई) एस.डी.एम. द्वारा जारी किया गया जाति व आय प्रमाण पत्र।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को डा. बी. आर. अम्बेडकर राज्य टॉपर्स पुरस्कार
(अ) दिल्ली में मौजूद सभी राज्य और केंद्रीय विश्वविद्यालय योजना में शामिल हैं।
(आ) प्रत्येक विश्वविद्यालय में डिग्री पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद प्रत्येक विषय में प्रत्येक टॉपर्स को 25000/- रुपये।
- अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को विदेश में उच्च अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता। (केवल ऑफलाइन)
(अ) पीएचडी के लिए - 55% अंक या संबंधित मास्टर डिग्री में बराबर ग्रेड।
(आ) संबंधित वर्ष की कट-ऑफ तिथि के अनुसार 30 (तीस) वर्ष से कम आयु।
(इ) मास्टर डिग्री के लिए- संबंधित बैचलर्स डिग्री में 55% अंक या बराबर ग्रेड।
(ई) मास्टर डिग्री/पीएचडी या वास्तविक राशि जो भी कम हो, का अध्ययन करने के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये (दिशा-निर्देशों के अनुसार)।
(उ) आय सीमा 8 लाख रुपये प्रति वर्ष।

(ऊ) एस.डी.एम. द्वारा जारी किया गया जाति व आय प्रमाण पत्र।
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना (कक्षा 9 से 12)।

- (अ) कक्षा 9वीं से 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के लिए रुपये 5000/- प्रति वर्ष और पिछली कक्षा में न्यूनतम 50% अंक।
(आ) कक्षा 11वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के लिए रुपये 10000/- प्रति वर्ष और पिछली कक्षा में न्यूनतम 60% अंक।
(इ) आय सीमा 8 रुपये लाख प्रति वर्ष।
(ई) वार्षिक आय सीमा- पिछली कक्षा में न्यूनतम 75% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए, अन्यथा आय सीमा नहीं है।
(उ) एस.डी.एम. द्वारा जारी किया गया जाति व आय प्रमाण पत्र।

केन्द्र सरकार व दिल्ली राज्य संयुक्त प्रायोजित वित्त पोषक छात्रवृत्तियां

- अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-परवर्ती स्कॉलरशिप योजना।
(अ) पूर्ण ट्यूशन शुल्क, परीक्षा शुल्क, परीक्षा शुल्क, जैसा कि लागू हो। (दिशा-निर्देशों के अनुसार) इसके अतिरिक्त हॉस्टलर्स छात्रों को रखरखाव भत्ता 3800 रुपये से 12000 रुपये प्रतिवर्ष तथा डे स्कॉलर्स छात्रों को 2300 रुपये से 5000 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाएगा। (दिशा-निर्देशों के अनुसार) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (भारत सरकार)।
(आ) आय सीमा 2.50 रुपये लाख प्रति वर्ष।
(इ) एस.डी.एम. द्वारा जारी किया गया जाति व आय प्रमाण पत्र।
- अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व स्कॉलरशिप योजना।
(अ) अनुरक्षण भत्ता डे स्कॉलर्स के लिए 2250 रुपये प्रति वर्ष और हॉस्टलर्स के लिए 5250 रुपये प्रति वर्ष और डे स्कॉलर्स के लिए 750 रुपये वार्षिक और हॉस्टलर्स को 1000 रुपये प्रतिवर्ष, एड-हॉक अनुदान के रूप में। (दिशानिर्देशों के अनुसार)
(आ) आय सीमा 2.50 रुपये लाख प्रति वर्ष।
(इ) एस.डी.एम. द्वारा जारी किया गया जाति व आय प्रमाण पत्र।
- अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-परवर्ती स्कॉलरशिप योजना
(अ) कक्षा 11 से लेकर पीएचडी तक के छात्रों के लिए, जो कि मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान अध्ययन कर रहे हैं।
(आ) विभाग ने पाठ्यक्रम शुल्क 20,000 रुपये वास्तविक या जो भी कम हो हॉस्टलर्स और डे स्कॉलर्स के लिए निर्धारित किया है।